IV 2 500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

श्रीमती उषा, श्रीपति, पुर्नवासी, फूलमती, बसावन, रामकुमार, बेचू द्वारा ट्रस्ट की स्थापना कर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत।

ट्रस्ट का नाम	:	गुरूकुल पंतजलि विद्यापीठ
पता	:	ग्राम–रामपुर
पोस्ट	:	देवरिया
थाना व तहसील	:	जमानियाँ
मुख्यालय	:	**पंजीकृत कार्यालय–** गुरूकुल पंतजलि, विद्यापीठ, रामपुर पो०–देवरिया, परगना–जमानियाँ, जनपद–गाजीपुर (उ०प्र०) आवश्यकतानुसार उपरोक्त मुख्यालय को अन्य उचित जगह समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्रमशः 2

3-3-91 ... 9-434

श्री ... शुल्क राज० ... योग

श्री ... श्रीपति ... पुत्र/श्री ... रमेश

वृत्त ... ग्राम शास्त्रीनगर गाजीपुर

जि० गाजीपुर के कार्यालय सब-रजिस्ट्रार

जिला-गाजीपुर में आज दिनांक 3-3-91 ... को समय ... 4 बजे

बजे ... के मध्य प्रस्तुत किया गया

श्रीपति

उप निबन्धक

3-3-91

उक्त मसख का ... को सुनकर व समझकर

... करके श्री श्रीपति उक्त ने स्वीकार किया।

(पहचान ...)

जिनकी पहचान श्री ... सिंह ... पुत्र ... सिंह

वृत्ति ... ग्राम ... गाजीपुर

श्री ... पुत्र श्री ... सिंह ...

उप निबन्धक

3-3-91

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

₹ 818066

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य : ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थायें यानी प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, तकनिक विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा संस्था आदि की स्थापना कर ग्रामीण अंचल के मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व विभिन्न खेलों का देश-प्रदेश के कोने-कोने में प्रकाश फैले, इसके लिए हर सम्भव उपाय करना/स्थापना करना ट्रस्ट का लक्ष्य है। कम शुल्क में तथा पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट हर समय प्रयत्नशील रहेगा। ट्रस्ट भूमि, भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश-प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा।

ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 818068

समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता : गुरुकुल पतंजलि विद्यापीठ ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के समस्त धारायें/नियम/उपनियम लागू होंगे जो इस न्यास के संचालन हेतु आवश्यक है, जो न्यायिक क्षेत्र में व्यवहृत व मान्य है। यह न्यास उक्त नियमों/उप नियमों के अनुपालन में प्रतिबद्ध है।

यह ट्रस्ट केवल जनहित के भावना से बगैर लाभ के

क्रमशः 4

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 818069

उद्देश्य से **(Non for Profit)** कार्य करेगी।

यह ट्रस्ट अधिनियम 21–1960 के नियम उपनियम के अनुसार **(Non for Profit)** कार्य करेगी।

ट्रस्ट का स्वरूप :–

क्र0सं0	नाम	पता	पद	पेशा
1.	उषा पुत्री स्व0 रामधारी	मालगोदाम रोड, गाजीपुर	मुख्य संरक्षक ट्रस्टी	समाज सेविका
2.	श्रीपति पुत्री श्री खेदन	शास्त्रीनगर, गाजीपुर	महासचिव, संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेवक
3.	पुर्णवासी पुत्र श्री तपेसर	ग्राम–खौंवपुर,पो0–देवरिया, गाजीपुर	सदस्य	समाज सेवक
4.	फूलमती पुत्री रामसकल	ग्राम–असगानीचक, सदर डाकघर, गाजीपुर	सदस्य	संचालक महिला मण्डल
5.	बसावन पुत्र स्व0 महादेव	ग्राम व पो0–ढढ़नी, जिला–गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवक
6.	रामकुमार पुत्र स्व0रामधनी	ग्राम व पो0–साइबाजकुली, गाजीपुर	सदस्य	समाज सेवक
7.	बेचू प्रसाद पु. स्व0 बल्ली प्रसाद	ग्राम व पो0– आदर्श गांव, गाजीपुर	सदस्य	समाज सेवक

क्रमशः 5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 818070

पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

मुख्य संरक्षक ट्रस्टी :

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
2. संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिए जाने वाले निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समानगत होने पर एक निर्णायक मत देना।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श

क्रमशः 6

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ■ 818071

देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7. ट्रस्ट (न्यास) के वाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना, मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तव्य होगा।

8. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि, भवन का क्रय–विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी : 1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3. ट्रस्ट (न्यास) की उन्नति के लिए निर्देश देना।

क्रमशः 7

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 818072

4. नये सदस्यों के लिए रसीद जारी करना।
5. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने, निष्कासन करने एवं पदोन्नति आदि का पूर्ण अधिकार सचिव, संस्थापक ट्रस्टी को होगा।
6. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनायें प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन करना।
7. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
8. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी : साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना

क्रमशः 8

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 818073

एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग : ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी–
1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा–

गठन : साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें : 1. सामान्य बैठकें ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार मार्च माह में होगी।

2. विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर साधारण सभा बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घंटे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति : बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना

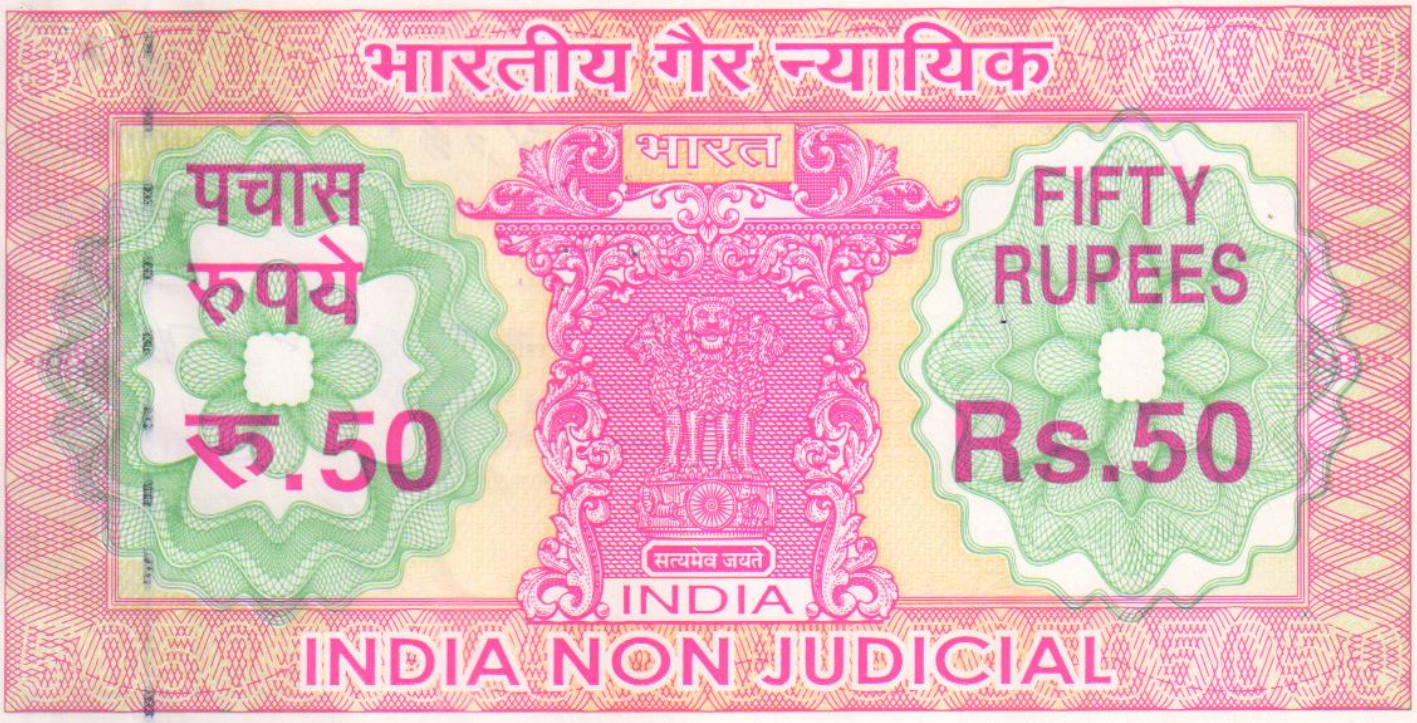

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 818074

आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य : साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

अ– वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।

ब– ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

स– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

द– ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्य को करना जो समिति के हित में हो।

क्रमशः 10

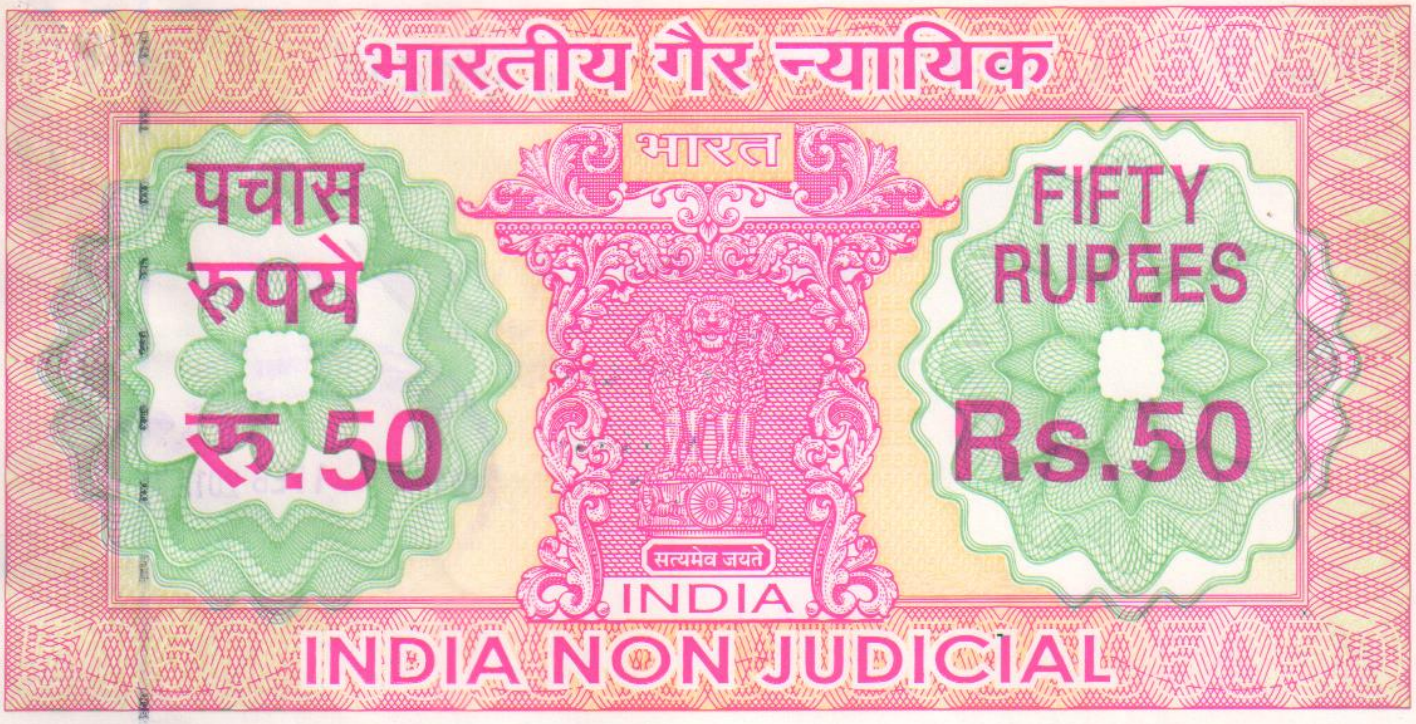

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 818075

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति

इस ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अध्यक्ष एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक होगा।

गठन : साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें एक संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी, एक महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एवं सदस्य ट्रस्टी चार होंगे।

बैठकें :–

सामान्य : सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी, प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष : विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति महासचिव संस्थापक

क्रमशः 11

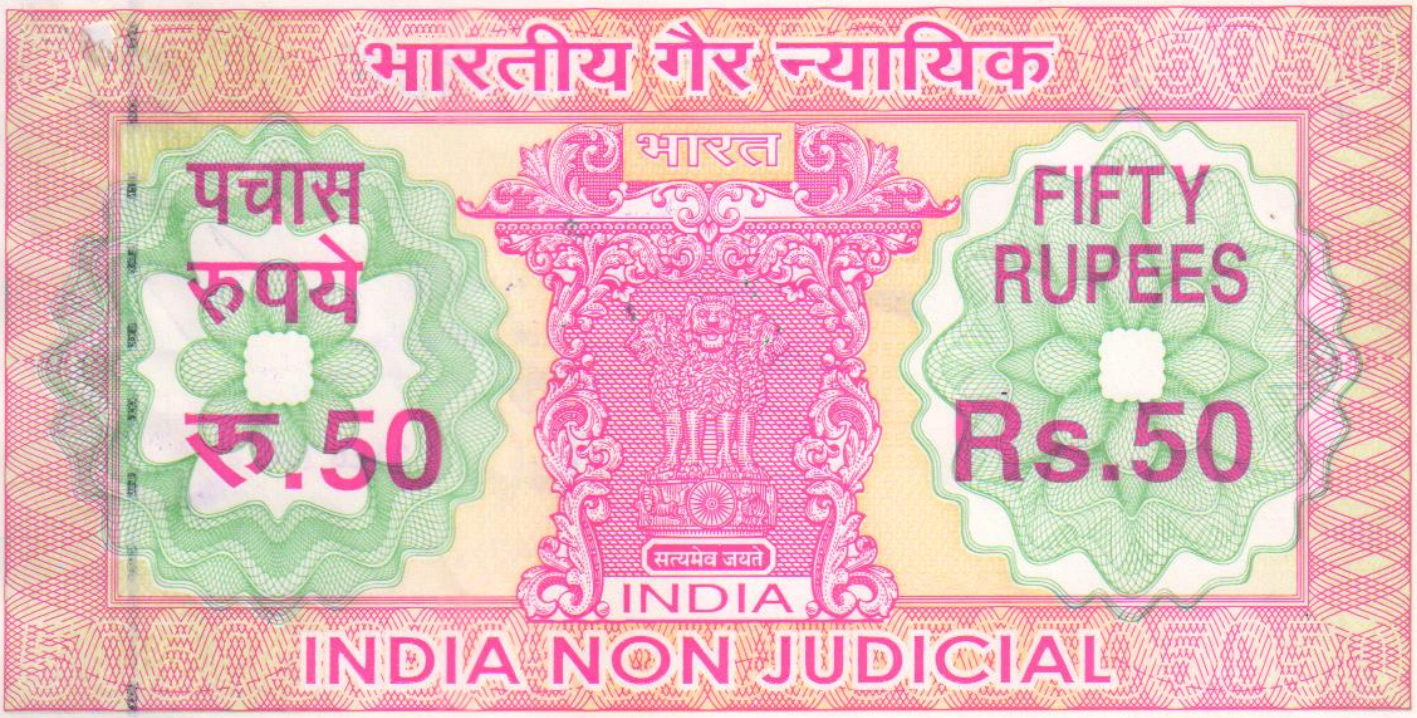

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 818076

ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति यदि कोई सदस्य कार्यालय के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों में से सदस्य मनोनित कर सकता है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा

क्रमशः 12

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AB 042524

संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्ध करना।

3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. **ट्रस्ट (न्यास) के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–**

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) नियमावली में संशोधन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. **ट्रस्ट न्यास के कोष :–**

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्य के पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा, जिसका संचालन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एवं ट्रस्टी के एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

क्रमशः 13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -13- 08AB 042525

23. **ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :–**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य ऑडिटर से संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. **ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :**

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा, जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निर्मित नियुक्त कर सकती है।

25. **ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख :–**

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर कैश बुक आदि कोषाध्यक्ष संस्थागत ट्रस्टी के पास होंगे।

26. गुरूकुल पंतजलि विद्यापीठ ट्रस्ट (न्यास) के पास इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से 5,000/– (पाँच हजार रूपया) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

क्रमशः 14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AB 042527

27. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति की निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

29ए. हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय की स्थापना करना व उसका संचालन करना।

29बी. संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को लाभान्वित करना आदि।

Arun Kr. Singh
Advocate
3/3/11

दिनांक– मशाविराकर्ता

दस्तखत गवाह– JN राकेश कुमार सिंह S/o स्व. विजयशंकर सिंह ग्राम पो० बहुरा जिला गाजीपुर

JN दुलारचन्द यादव S/o श्री रामप्रसाद सिंह ग्रा. पो. बेलवट महुवारी जमानियां गाजीपुर